भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2862

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

2862. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुंची है और उसे बंद करना पड़ा है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) क्या राजमार्गों पर बढ़ते मौसम संबंधी जोखिम के खतरे का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर हुई क्षति, जिसमें भूस्खलन, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति और राजमार्ग बंद होना शामिल है, का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई (किमी में)**
2019-20	6,188
2020-21	4,919
2021-22	6,105
2022-23	5,250
2023-24	2,718

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का समय-समय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा इसकी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर रखरखाव कार्य समय-समय पर किए जाते हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त खंडों का पुनर्निर्माण राज्य में किए जाने वाले समग्र विकास कार्यों का हिस्सा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन (एम एंड आर), जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव एवं हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) ठेके सौंपे जा चुके हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायती अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों/संविदाकारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह, टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के तहत किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए, एमएंडआर की जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही के पास होती है। इन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के संबंध में कोई अलग रखरखाव व्यय दर्ज नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए सरकार ने रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से उत्तरदायी रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के एमएंडआर को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यतंत्र विकसित किया है। विगत पांच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार/पुनर्निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे खंडों की मरम्मत एवं मरम्मत पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपए में)**
2019-20	3,011
2020-21	5,948
2021-22	5,135
2022-23	6,278
2023-24	6,523

(ग) राजमार्गों पर बढ़ते जलवायु जोखिम के खतरे का विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास/उन्नयन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय जलवायु की स्थिति, वर्षा, भू-भाग का प्रकार, मिट्टी की श्रेणी आदि के पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

*****